3. शैक्षणिक योग्यता :

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर 2026 एवं 14 सितम्बर 2026 के अनुसार पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है –

स.क्र.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	**शीघ्रलेखक (हिन्दी)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।
2.	**शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्तमण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।
3.	**शीघ्रलेखक (द्विभाषी)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्तमण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़

		शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।
4.	**उप निरीक्षक – अ (शीघ्रलेखक) (सामान्य शाखा) (हिन्दी)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्तमण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।
5.	**डाटा एंट्री ऑपरेटर**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र ।
6.	**स्टेनो टायपिस्ट**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 60 शब्द प्रति मिनट की गति (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (मिल) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र ।

7.	**सहायक ग्रेड 3**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति का प्रमाण पत्र ।
8.	**पंजीयन लिपिक**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति का प्रमाण पत्र ।
9.	**सहायक उप निरीक्षक – अ (सामान्य शाखा)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति का प्रमाण पत्र ।
10.	**सहायक उप निरीक्षक – अ (जिला– इकाई संवर्ग)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा । (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति का प्रमाण पत्र ।

टीपः—

1. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर 2026 की कंडिका 4 के अनुसार 'इस अधिसूचना के जारी होने के फलस्वरूप उक्त पदों की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं प्रशासकीय विभागों के भर्ती नियम में स्वमेव संशोधित माने जाएंगे'।
2. अभ्यर्थी को उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है।

4. अन्य अर्हताएं –

स. क.	पदनाम	विभाग	विभागाध्यक्ष कार्यालय	अन्य अर्हताएं
1	**शीघ्रलेखक (हिन्दी)**	**गृह**	**नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एस डी आर एफ, मुख्यालय**	1– न्यूनतम ऊंचाई पुरूष – 162 से . मी . महिला – 152 से . मी . 2– किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं होना चाहिए 3– घुटने नहीं मिलना चाहिए ,वं पैर का तलवा समतल नहीं होना चाहिए 4– दृष्टि से संबन्धित कोई रोग नहीं होना चाहिए
2	**उप निरीक्षक – अ (शीघ्रलेखक) (सामान्य शाखा) (हिन्दी)**	**गृह**	**पुलिस मुख्यालय**	न्यूनतम ऊंचाई – ➢ 153 सेमी. या उससे अधिक (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) ➢ 153 सेमी. या उससे अधिक (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए) ➢ अनुसुचित जनजाति वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेमी एवं 151 सेमी. महिला अभ्यर्थियों के लिए। 2. सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेगा तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगा। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। बिना चश्मे के एक आंख की दृष्टि 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी मुख्य रंगों में भेद करने में सक्षम होना चाहिये।
3	**डाटा एंट्री ऑपरेटर**	**गृह**	**नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एस डी आर एफ, मुख्यालय**	1– न्यूनतम ऊंचाई पुरूष – 162 से . मी . महिला – 152 से . मी . 2– किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं होना चाहिए 3– घुटने नहीं मिलना चाहिए ,वं पैर का तलवा समतल नहीं होना चाहिए 4– दृष्टि से संबन्धित कोई रोग नहीं होना चाहिए
4	**सहायक ग्रेड 3**	**गृह**	**अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एस डी आर एफ, मुख्यालय**	1– न्यूनतम ऊंचाई पुरूष – 162 से . मी . महिला – 152 से . मी . 2– किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं होना चाहिए 3– घुटने नहीं मिलना चाहिए ,वं पैर का तलवा समतल नहीं होना चाहिए 4– दृष्टि से संबन्धित कोई रोग नहीं होना चाहिए
5	**सहायक ग्रेड 3**	**गृह**	**नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एस डी**	1– न्यूनतम ऊंचाई पुरूष – 162 से . मी . महिला – 152 से . मी .

			आर एफ, मुख्यालय	2– किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं होना चाहिए 3– घुटने नहीं मिलना चाहिए ,वं पैर का तलवा समतल नहीं होना चाहिए 4– दृष्टि से संबन्धित कोई रोग नहीं होना चाहिए
6	**सहायक उप निरीक्षक – अ (सामान्य शाखा)**	**गृह**	**पुलिस मुख्यालय**	न्यूनतम ऊंचाई – ➢ 153 सेमी. या उससे अधिक (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) ➢ 153 सेमी. या उससे अधिक (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए) ➢ अनुसुचित जनजाति वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेमी एवं 151 सेमी. महिला अभ्यर्थियों के लिए। 2. सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेगा तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगा। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। बिना चश्मे के एक आंख की दृष्टि 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी मुख्य रंगों में भेद करने में सक्षम होना चाहिये।
7	**सहायक उप निरीक्षक – अ (जिला इकाई संवर्ग)**	**गृह**	**पुलिस मुख्यालय**	न्यूनतम ऊंचाई – ➢ 153 सेमी. या उससे अधिक (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) ➢ 153 सेमी. या उससे अधिक (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए) ➢ अनुसुचित जनजाति वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेमी एवं 151 सेमी. महिला अभ्यर्थियों के लिए। 2. सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेगा तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगा। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। बिना चश्मे के एक आंख की दृष्टि 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी मुख्य रंगों में भेद करने में सक्षम होना चाहिये।